

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-डी०सी० थपलियाल)

प्र०क० 209/2014 अ०फौ०

संस्थिति दिनांक 18.6.2014

धर्मेन्द्र उर्फ बोस पुत्र गंधर्वसिंह राना आयु 19 वर्ष
निवासी भडेरा पुलिस थाना मौ परगना गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०

----- अपीलांत

बनाम

म०प्र० राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड
म०प्र०

----- अभियोगी

अपीलार्थी द्वारा श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता

प्रत्यर्थी राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर ए०पी०पी०

न्यायालय सुश्री शैलजा गुप्ता, जे०एम०एफ०सी० गोहद द्वारा दाण्डिक
प्रकरण क्रमांक 38/2009 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 21-05-2014
से उत्पन्न दाण्डिक अपील क्रमांक 209/2014

// निर्णय //

(आज दिनांक 10-05-2016 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक अपील अंतर्गत धारा 374 दं.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है जिसमें कि अपीलार्थी ने न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी- सुश्री शैलजा गुप्ता के द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 38/2009 ई.फौ. आरक्षी केन्द्र मौ वि० धर्मेन्द्र राणा में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 21.05.2014 से व्यथित होकर पेश किया है, जिसमें अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी/आरोपी को धारा 354 भा०दं०वि० के तहत दोषी पाते हुए 06 माह का कठोर कारावास व 1000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह के साधारण कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया है।

02. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 6-1-09 को शाम 7 बजे के करीब फरियादी लक्ष्मीनारायण की लडकी पीडिता जिसकी उम्र 13 वर्ष की थी, घटना दिनांक को चायपत्ति लेने के लिए गांव में स्थिति दुकान में गई थी और जब चायपत्ती लेकर घर आ रही थी, जैसे ही वह दुकान से थोड़ी दूर पर आयी तभी पीछे से उसके पड़ोसी धर्मेन्द्र उर्फ बोस जाट ने उसे बुरी नियत से बेज्जत करने के आशय से पकड़ लिया। पीडिता ने स्वयं को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन अभियुक्त धर्मेन्द्र ने उसे नहीं छोड़ा तब पीडिता चिल्लाई जिस पर फरियादी एवं उसकी पत्नी राजकुमारी, पीडिता की आवाज सुनकर मौके पर पहुंच गये, तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। फरियादी लक्ष्मीनारायण उसकी पत्नी तथा मौहल्ले के काशीराम ने आरोपी को देखा था। पीडिता के द्वारा उन सब को घटना के संबंध में बताया। फरियादी की लडकी/ पीडिता के पास 51/- रुपये थे जो छीना झपटी में कहीं गिर गये। फरियादी द्वारा घटना के संबंध में दिनांक 16-1-16 को आरक्षी केन्द्र मौ में अप0कं0 14/09 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। फरियादी एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। अनुसंधान उपरांत दिनांक 20-1-09 को अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 354 भा0दं0वि0 के संबंध में अपराध पाए जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य उपरांत अभियुक्त परीक्षण कर एवं अंतिम तर्क सुने जाकर दिनांक 21.05.14 को प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कि आरोपी को कंडिका 01 में दर्शाए गए दण्डादेश के अनुसार दण्डित किया गया।

05. अपीलार्थी/आरोपी के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सही विवेचन न कर दण्डाज्ञा पारित करने में गंभीर भूल की है। अभियोजन साक्षी लक्ष्मीनारायण, पीडिता व राजकुमारी ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से कहा कि घटना दि0 6-1-2009 के शाम के 7 बजे घटित हुयी और उसकी रिपोर्ट दूसरे दिन सुबह ही दिनांक 7-1-2009 को थाने पर की गई होना बता रहा है, जबकि रिपोर्ट घटना दिनांक के 09 दिन पश्चात् दिनांक 16-9-2009 को की गई है। इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नहीं कराया है। फरियादी एवं साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विरोधाभास एवं बिसंगतियाँ आई है। रिपोर्ट मारपीट के संबंध में लिखाई गई थी फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलांत को धारा 354 भा0दं0वि0 में दोषी पाने में कानूनी भूल की है। घटना के

स्वतंत्र साक्षियों के कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराए गए हैं। जबकि कथन बचाव पक्ष के द्वारा कराया गया है। पक्षकारों के मध्य रंजिश होने के तथ्य को साक्षियों के द्वारा स्वीकार किया गया है। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय के द्वारा इस तथ्य को विचार में नहीं लिया गया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्बित है, विलम्ब से रिपोर्ट किए जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के संबंध में तथा प्रतिपरीक्षण में आए हुए तथ्यों पर सूक्ष्मतः परीक्षण किए बिना प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी दशा में आरोपी को दोषसिद्ध दण्डादेश को अपास्त करते हुए दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है।

06. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्ध दण्डादेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का कोई आधार न होना बताते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि—

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का दोषसिद्ध आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 21.05.2014 स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किए जाने योग्य है?

::- निष्कर्ष के आधार:-::

08. घटना के संबंध में घटना की पीडिता अ0सा0 2 ने अपने साक्ष्य कथन में आरोपी को पहचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि घटना दिनांक को शाम के लगभग सात बजे के करीब उसकी माँ ने उसे चाय की पत्ती मंगाने के लिए भेजा था। दुकान से चाय की पत्ती लेकर के जब वह बापस आ रही थी तभी दुकान से थोड़ा बाहर उसे आरोपी धर्मेन्द्र ने पीछे से आकर पकड़ लिया, वह जोर से चिल्लाई तब भी आरोपी ने उसे नहीं छोड़ा और जब वह ज्यादा चिल्लाई तो उसकी माँ, पिता व गांव के चाचा काशीराम आ गए थे तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। आरोपी ने जब उसे पकड़ा तो कुछ समझ नहीं पाई थी और चिल्ला पड़ी थी। घर लौटकर उसने अपने माता पिता को घटना के बारे में बताया था।

09. उपरोक्त संबंध में साक्षी लक्ष्मीनारायण अ0सा0 1 के द्वारा भी बताया है कि आरोपी धर्मेन्द्र ने शाम के लगभग सात बजे उसकी बेटी को बुरी नियत से पकड़ा था और जब उसकी बेटी चिल्लाई और रोई तो वह दौड़कर उसके पास गया था। उसे देखकर आरोपी भाग गया था। घटना की रिपोर्ट करने के लिए अपनी लड़की को लेकर थाना मौ गया था वहाँ रिपोर्ट लिखाई थी और रिपोर्ट प्र.पी. 1 पर अंगूठा निशान लगाया था और पुलिस ने घटनास्थल

का नक्शामौका भी बनाया था।

10. अन्य अभियोजन साक्षी राजकुमारी अ0सा0 3 जो कि पीडिता की माँ के द्वारा भी बताया गया है कि अपनी लडकी को चाय पत्ती के लिए दुकान पर पहुँचाया था, उसे पचास रूपए का नोट दिया था। जब दुकान से लौट रही थी तो लडकी के रौने की आवाज सुनी तो उसके पास गई और लडकी से पूछा तो उसकी लडकी ने बताया था कि आरोपी धर्मेन्द्र ने उसे पीछे से पकड़ लिया है जो कि उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पकड़ लिया था। उसके बाद वह अपने घर आ गई और धर्मेन्द्र के घर गई जहाँ धर्मेन्द्र की माँ, पिता और चाचा थे उन्हें इस संबंध में बताया तो उन्होंने कहा कि लडका उनकी बात नहीं मानता है।

11. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0आर0 रामप्रताप तोमर अ0सा0 5 के द्वारा लेखबद्ध करना बताया है जो कि फरियादी लक्ष्मीनारायण की रिपोर्ट के आधार पर उसकी लडकी के साथ आरोपी के द्वारा बुरी नियत से उसे पकड़ लिया गया था, इस आशय की रिपोर्ट लिखाई थी जो कि धारा 354 भा0दं0वि0 के अंतर्गत लेखबद्ध की गई थी, रिपोर्ट प्र.पी. 1 पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12. प्रकरण के विवेचना अधिकारी ए.एस.आई जगदीश गुप्ता अ0सा0 4 विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 2 तैयार करना और उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना तथा उपरोक्त दिनांक को फरियादी लक्ष्मीनारायण, साक्षी राजकुमारी एवं पीडिता के कथन तथा काशीराम का कथन लेखबद्ध करना बताया है और आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 3 तैयार करना बताया है।

13. बचाव पक्ष के द्वारा आरोपी को घटना में रंजितवस झूठा फंसाए जाने के संबंध में आधार लेते हुए बचाव साक्षी के रूप में काशीराम ब0सा0 1 का परीक्षण कराया गया है, जो कि अभियोजन का साक्षी था जिसको कि अभियोजन के द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है, उक्त साक्षी के द्वारा घटना के बारे में उसे कोई जानकारी न होना अभिकथित किया है।

14. घटना की पीडिता एवं अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षियों के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में पीडिता अ0सा0 2 इस बात को स्वीकार की है कि शर्दियों में 07:00 – 07:30 बजे अंधेरा हो जाता है, किन्तु साक्षियों के द्वारा स्वतः में स्पष्ट किया गया है कि उसने आरोपी को पहचान लिया था, क्योंकि जब वह चायपत्ती लेने के लिए गई थी तब वह उसके पीछे पीछे आया था। निश्चित तौर से कोई परिचित व्यक्ति जो कि पास में आए उसे अंधेरे में भी पहचाना जा सकता है। ऐसी दशा बचाव पक्ष के द्वारा लिये गए आधार कि घटना के समय अंधेरा हो गया था और गांव में लाइट नहीं थी, ऐसे में आरोपी की पहचान नहीं की जा सकती है को मान्य नहीं किया जा सकता है।

15. प्रतिपरीक्षण कंडिका 5 में साक्षी बताई है कि उसने आरोपी धर्मेन्द्र को जब वह

इधर से चायपत्ती लेने जा रही थी तभी देख लिया था और इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने आरोपी धर्मेन्द्र को केवल दुकान पर जाते समय अपना पीछा करते हुए देखा था। स्वतः में साक्षिया बताई है कि दुकान से बापस आते समय भी उसने देखा था और बापस आते समय आरोपी उसके पीछे था। निश्चित रूप से साक्षिया को दिया गया उक्त सुझाव भी इस तथ्य को इंगित करता है कि आरोपी घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद था और पीडिता के द्वारा उसे देखा और पहचाना गया। कंडिका 4 में पीडिता यह स्पष्ट की है कि जब वह दुकान से लौट रही थी तब आरोपी ने उसे पकड़ लिया था और वह जोर से चिल्लाई भी थी और उसके चिल्लाने के दो मिनट बाद उसके पिता, माँ व काशीराम चाचा गए थे, जो कि इस संबंध में पीडिता के द्वारा मुख्य परीक्षण में किया गया कथन की सम्पुष्टि करता है।

16. पीडिता के न्यायालयीन कथन में रिपोर्ट लिखाने के संबंध में रिपोर्ट उसके द्वारा बोलने पर थाना में टी0आई0 के द्वारा लिखी जानी बताई है। इस संबंध में यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 में पीडिता के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है, बल्कि रिपोर्ट उसके पिता लक्ष्मीनारायण के द्वारा लिखाई गई है, किन्तु पीडिता अपने पिता के साथ रिपोर्ट करने गई थी और घटना के करीब तीन साल बाद उसका कथन हो रहा है, ऐसी दशा में यदि रिपोर्ट लिखाए जाने के संबंध में यदि उसके कथन में कोई बिसंगति आई भी है तो इससे उसके सम्पूर्ण कथन की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती है। पीडिता ने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इन्कार किया है कि उसके माता पिता का आरोपी से झगडा होने के कारण माता पिता के द्वारा गलत रिपोर्ट लिखाई गई है और इस बात से भी इन्कार किया है कि आरोपी धर्मेन्द्र ने उसे नहीं पकड़ा था। इस प्रकार पीडिता के द्वारा आरोपी को अपराध में किसी अन्य कारण से झूठा लिप्त किया जा रहा हो ऐसा भी मानने का कोई आधार अथवा कारण परिलक्षित नहीं होता है।

17. पीडिता के कथनों में उसके प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके द्वारा पुलिस को दिए गए कथन एवं न्यायालय में हुए कथन में कोई भी तात्त्विक या गंभीर प्रकार का विरोधाभास, बिसंगति अथवा लोप आना दर्शित नहीं होता है जिससे कि उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती हो। पीडिता का कथन में स्पष्ट रूप से आरोपी के घटनास्थल पर घटना के समय आने और उसे पीछे से पकड़ लेने के संबंध में जो साक्ष्य आई है वह अखण्डनीय रही है। ऐसी दशा में पीडिता का कथन प्रतिपरीक्षण उपरांत विश्वसनीय होना पाया जाता है।

18. घटना के संबंध में अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि अभियोजन साक्षी लक्ष्मीनारायण अ0सा0 1, राजकुमारी अ0सा0 3 के कथन से भी होती है जो कि पीडिता के माता पिता है तथा जो पीडिता के चिल्लाने की आवाज को सुनकर घटनास्थल पर पहुँच गए थे जो पीडिता के द्वारा उसके साथ हुई घटना के बारे में बताया था। इस संबंध में साक्षी

लक्ष्मीनारायण अ0सा0 1 के कथन कंडिका 5 में यह आया है कि जब वह बच्ची के पास पहुँचे तो बच्ची के अलावा और कोई नहीं मिला था तथा साक्षी राजकुमारी के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में ही यह बताया है कि आरोपी धर्मेन्द्र मौके पर नहीं मिला था, किन्तु मात्र इस आधार पर कि आरोपी उन्हें मौके पर नहीं मिला था जबकि उक्त साक्षीगण घटना के चक्षुदर्शी साक्षी भी नहीं है उनके साक्ष्य कथन की विश्वसनीयता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त साक्षीगण के कथन से स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि की होती है कि घटना के समय पीडिता के द्वारा चिल्लाने और रौने की आवाज सुनकर वह घटनास्थल के पास पहुँचे थे और उनकी पुत्री के द्वारा उन्हें उसके साथ आरोपी के द्वारा की गई घटना के बारे में बताया गया था। इस प्रकार पीडिता के कथन की सम्पुष्टि उक्त साक्षीगण के कथन से होती है। उक्त साक्षी लक्ष्मीनारायण जो कि पीडिता का पिता है और राजकुमारी जो कि पीडिता की माँ है मात्र इस आधार पर कि साक्षीगण पीडिता के माता पिता है उन्हें हितबद्ध मानते हुए उनके कथनों को दरकिनार करने या अविश्वसनीय मानने का कोई आधार या कारण होना दर्शित नहीं होता है। उक्त साक्षीगण के द्वारा आरोपी को घटना में झूठा लिप्त किया जा रहा हो ऐसा भी मानने का कोई आधार दर्शित नहीं होता है। साक्षी लक्ष्मीनारायण अ0सा0 1 व राजकुमारी अ0सा0 3 के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में यद्यपि कतिपय बिन्दुओं पर विरोधाभास, बिसंगति अथवा लोप होना आना दर्शित होता है, किन्तु उक्त विरोधाभास, बिसंगति तात्त्विक प्रकार की होनी नहीं कही जा सकती है जिससे कि उक्त साक्षी के सम्पूर्ण न्यायालयीन कथन की विश्वसनीयता प्रभावित होती हो।

19. जहाँ तक घटना की रिपोर्ट करने के संबंध में साक्षी लक्ष्मीनारायण अ0सा0 1 जिनके द्वारा कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 की लिखाई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना दिनांक 06.01.2009 को शाम के 7 बजे की होनी बताई गई है और घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.01.2009 अर्थात् घटना के दस दिन बाद थाना में दर्ज कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में साक्षी लक्ष्मीनारायण प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि रिपोर्ट करने के लिए अगले दिन गया था और अपनी बच्ची को लेकर के रिपोर्ट करने को गया था और रिपोर्ट लिखाई थी और इस बात से इन्कार किया है कि 08-10 दिन के बाद वह रिपोर्ट करने के लिए गया था। यद्यपि साक्षी यह कह रहा है कि रिपोर्ट के बाद कई बार थाने गया था। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में रिपोर्ट लेखक रामप्रतापसिंह तोमर के द्वारा दिनांक 16.01.2009 को रिपोर्टकर्ता लक्ष्मीनारायण के द्वारा घटना की रिपोर्ट लिखाना और इस आधार पर उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 लेखबद्ध करना बताया है। उक्त घटना की रिपोर्ट के संबंध में पीडिता के द्वारा प्रतिपरीक्षण में बताया गया है कि वह और उसके पिता दूसरे दिन रिपोर्ट करने के लिए गया थे और रिपोर्ट उसके द्वारा बोली गई थी। इस संबंध

में यह उल्लेखनीय है कि घटना के दूसरे दिन की कोई भी रिपोर्ट की जानी अभियोजन के द्वारा कोई भी रिपोर्ट जो कि घटना के दूसरे दिन की गई हो प्रकरण में पेश नहीं की गई है, किन्तु मात्र इस आधार कि दूसरे दिन की कोई रिपोर्ट प्रकरण में पेश नहीं है, जबकि रिपोर्टकर्ता व पीडिता दोनों कह रहे हैं कि वह दूसरे दिन रिपोर्ट करने थाना में गए थे और रिपोर्टकर्ता के द्वारा यह भी बताया गया है कि वह कई बार थाने गया था।

20. इस परिप्रेक्ष्य में कि यदि दूसरे दिन कोई रिपोर्ट न लिखी जाकर दिनांक 16.01.2009 को किन्हीं कारणों से रिपोर्ट लिखी गई है जो कि साधारणतः पुलिस रिपोर्ट लिखने में त्वरित कार्यवाही करने से बचती है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने में विलम्ब पुलिस के असहयोग के कारण भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त मात्र इस आधार पर कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गई है यह सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद या बनावटी मानने का एक मात्र आधार भी नहीं हो सकता है। लैंगिक अपराध के मामलों में विलम्ब से रिपोर्ट करना एक सामान्य बात है भी होती है, जैसा कि इस संबंध में **सतपालसिंह वि० स्टेट ऑफ हरयाणा (2010)8 एस.सी.सी.** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवधारित किया गया है। इसी प्रकार **जसबंतसिंह वि० स्टेट ऑफ पंजाब ए.आई.आर.(2010) एस.सी. 894** में यह अवधारित किया गया है कि यदि मामले की पीडिता और उसकी माँ की स्पष्ट और अकाट्य साक्ष्य अभिलेख पर है तो मात्र विलम्ब से की गई रिपोर्ट अभियोजन मामलों में संदेह करने का आधार नहीं हो सकता है। ऐसी दशा में इस आधार पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गई है उसे आधार मानते हुए जबकि प्रकरण की पीडिता एवं उसके माता पिता के अखण्डनीय एवं विश्वास योग्य कथन इस बिन्दु पर मौजूद है मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखे होने के आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण असत्य और अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है।

21. आरोपी के द्वारा अभियुक्त परीक्षण के दौरान यह आधार लिया गया है कि उसे रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष अधिवक्ता के द्वारा पीडिता अ०सा० 2, उसके पिता लक्ष्मीनारायण अ०सा० 1 और माँ राजकुमारी अ०सा० 3 के प्रतिपरीक्षण में आए हुए कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया गया है कि उन्होंने आरोपी धर्मेन्द्र के माता पिता के साथ झगडा होने की बात को बताया है। इस संबंध में जैसा कि अभियोजन साक्ष्य में आया है कि आरोपी के द्वारा घटना दिनांक को घटना समय स्थान पर पीडिता को बुरी नियत से पडका गया है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि उसके माता पिता आरोपी के घर पर गये हों और उनकी लडकी के साथ आरोपी के द्वारा किए गए कृत्य का कोई विरोध करने हेतु वह गए हो और इस दौरान आपस में कोई मुँहवाद हो गया हो तो मात्र इस आधार पर कि आरोपी को फरियादी पक्ष के द्वारा विवाद के कारण मिथ्या लिप्त किया गया है ऐसा

मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है।

22. बचाव पक्ष के द्वारा बचाव साक्षी के रूप में काशीराम ब0सा0 1 का परीक्षण कराया गया है, जिसने अपने कथन में घटना के संबंध में कोई जानकारी न होना बताया है, किन्तु इस संबंध में उक्त बचाव साक्षी को अभियोजन के द्वारा प्रतिपरीक्षण उपरांत इस बात को भी स्वीकार किया है कि उसका फरियादी एवं आरोपी दोनों के परिवारों से अच्छे संबंध हैं और इस बात को भी स्वीकार किया है कि वह उनके आपसी लड़ाई में बुरा नहीं बनना चाहता है। ऐसी दशा में यदि साक्षी काशीराम जो कि यद्यपि अभियोजन का साक्षी था वह पक्षकारों से अपने संबंध के कारण एवं उनके साथ कोई बुराई मोल न लेने के कारण यदि घटना का कोई समर्थन नहीं कर रहा हो तो इससे सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता एवं विश्वसनीयता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

23. बचाव पक्ष अधिवक्ता ने अपने तर्क के दौरान यह भी आधार लिया गया है कि पीडिता ने कहीं भी अपने कथन में यह नहीं बताया गया है कि आरोपी ने उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। ऐसी दशा में धारा 354 भा0दं0वि0 के अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है। इस संबंध में प्रकरण में पीडिता के न्यायालयीन कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि आरोपी ने उसे पीछे से पकड़ लिया था। इस बिन्दु पर पीडिता के पिता एवं माँ के द्वारा भी पीडिता के द्वारा उसे आरोपी के द्वारा पीछे से पकड़ लेने के संबंध में स्पष्ट रूप से अभिकथित किया है। इस प्रकार फरियादिया पर बल प्रयोग किया जाना आए हुए साक्ष्य से स्पष्ट होता है। पीडिता जो कि घटना के समय करीब 13 साल की बालिका है उसे अचानक अंधेरे में पकड़ लेना इस तथ्य को दर्शाता है कि इस प्रकार के कृत्य से आरोपी उसकी लज्जा शीलता भंग करने का आशय रखता है और इस आशय से ही उस पर आपराधिक बल प्रयोग किया गया। इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आरोपी के द्वारा पीडिता की लज्जा शीलता भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल प्रयोग किया जाने का तथ्य प्रमाणित होता है।

24. बचाव पक्ष के द्वारा तर्क में यह भी आधार लिया गया है कि किसी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। इस संबंध में अभियोजन साक्षी काशीराम के कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराए गए हैं। जहाँ तक स्वतंत्र साक्षियों की साक्ष्य का प्रश्न है, घटना जो कि शाम के सात-आठ बजे की होनी बताई गई है, जबकि पीडिता चायपत्ती लेने के लिए दुकान पर गई थी। घटना के समय वहाँ पर अन्य कोई व्यक्ति मौजूद होना या अन्य किसी व्यक्ति की मौजूदगी में आरोपी के द्वारा कृत्य किया गया हो ऐसा भी कहीं दर्शित नहीं होता है। साधारणतः इस प्रकार के अपराध करते समय आरोपी सूनसान में ही इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश करेगा। ऐसी दशा में मात्र इस आधार पर कि

कोई स्वतंत्र साक्षी घटना के संबंध में अभियोजन के द्वारा साक्ष्य नहीं कराई गई है इससे अभियोजन प्रकरण की विश्वसनीयता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **राजेन्द्र उर्फ राजू वि० स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 30229** में यह अवधारित किया गया है कि पीड़िता के कथनों की पुष्टि आवश्यक नहीं होती है, जहाँ तक उच्च स्तर की असंभावना का प्रकरण हो केवल वहीं पर पुष्टि आवश्यक होती है। इसी प्रकार **श्रीनारायण शाह वि० स्टेट ऑफ त्रिपुरा (2004)7 एस.सी.सी. 775** में अवधारित किया गया है कि अभियोक्त्री की साक्ष्य आहत साक्षी की साक्ष्य के समान होती है और विधि में कोई ऐसा नियम नहीं है कि उसकी पुष्टि की अभाव में वह विश्वसनीय नहीं होती है।

25. इस प्रकार अभियोजन प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी के द्वारा पीड़िता की लज्जा शीलता भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल प्रयोग किये जाने का जो तथ्य विचारण न्यायालय के द्वारा पाया गया है वह प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण साक्ष्य एवं प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में उचित रूप से विचार करते हुए साक्ष्य का मूल्यांकन और विवेचन कर निष्कर्ष निकाला जाना पाया जाता है।

26. तदनुसार विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ बोस को दोषसिद्ध ठहराने में किसी प्रकार की कोई वैधानिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि की जानी नहीं पाई जाती है। विचारण न्यायालय का दोषसिद्ध पाए जाने के संबंध में दिया गया आदेश दिनांक 21.05.2014 की पुष्टि की जाती है।

27. आरोपी को दिए गए दण्ड का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में बचाव पक्ष अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ बोस को धारा 354 भा०दं०वि० के आरोप हेतु दिया गया 06 माह के कठोर कारावास एवं 1000/— रूपए अर्थदण्ड अति कठोर है। आरोपी का कोई पूर्व का आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है, आरोपी नव युवक। उसके द्वारा सन् 2009 से विचारण का सामना किया जा रहा है और लगातार उपस्थित हो रहा है। ऐसी दशा में दण्ड के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने का निवेदन उनके द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर भी विचारण न्यायालय के द्वारा उचित रूप से विचार नहीं किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में विचार किये जाने का निवेदन किया गया है।

28. सर्वप्रथम आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का जहाँ तक प्रश्न है, आरोपी धर्मेन्द्र के विरुद्ध धारा 354 भा०दं०वि० के अंतर्गत अपराध प्रमाणित होना पाया गया है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर

विचार करते हुए उन्हें प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाया गया है। आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में जो कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए जो कि नावालिग लडकी के साथ उसके द्वारा अपराध किया गया है जो कि सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता है, उसे देखते हुए आरोपी को परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

29. जहाँ तक आरोपी धर्मेन्द्र को धारा 354 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दिए गए दण्ड का प्रश्न है। आरोपी को उक्त धारा के अंतर्गत प्रत्येक को 06 माह के सश्रम कारावास 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने एवं अर्थदण्ड के व्यक्तम में 01 माह के साधारण कारावास की सजा प्रथक से भुगताए जाने का आदेश दिया गया है। आरोपी के द्वारा नावालिग बालिका के साथ अपराध कारित किया जाना प्रमाणित पाया गया है। इस संबंध में अपराध की प्रकृति एवं सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को जो दण्ड दिया गया है वह कदापि अनुपातहीन अथवा अधिक होना नहीं कहा जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय के द्वारा दिए गए दण्डादेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का भी कोई आधार अथवा कारण परिलक्षित नहीं होता है। विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को दिए गए दण्डादेश की पुष्टि की जाती है।

30. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय के द्वारा पारित दोषसिद्ध आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 21.05.2014 की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

31. आरोपी/अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिया जाकर सजा भुगताए जाने हेतु भेजा जावे।

32. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख बापस किया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड